न्यायालय राजस्व मंडल मोती महल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक ..../निगरानी/..........

PBR/निगरानी/इन्दौर/भू-रा/2017/2309

सुभाष पिता स्व. श्री निर्भयसिंह जी सुमेर
निवासी 91, ग्राम– अरंड़िया तहसील एवं जिला इंदौर (म.प्र.)

....................प्रार्थी

विरूद्ध

1. राजस्व निरीक्षक कार्यालय,
   कार्यालय–राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2
   विजय नगर क्षेत्र तहसील इन्दौर जिला इन्दौर

2. श्रीमान तहसीलदार महोदय
   विजय नगर क्षेत्र, कलेक्टर कार्यालय,
   मोती तबेला, इन्दौर

..................प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 सहपठित धारा 32 अंतर्गत

आवेदक की ओर से अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक कार्यालय, राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2 विजय नगर क्षेत्र तहसील इन्दौर जिला इन्दौर द्वारा दिनांक ~~22.06.2017~~ एवं 12.06.2017 तथा तदुपरांत दिनांक 17.07.2017 को मौखिक रूप से बेदखल किये जाने बाबद् सूचना दिये जाने से पीड़ित एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1. यह कि आवेदक एक कृषक होकर कृषि कार्य करता है तथा उक्त कृषक कृषि कार्य से अपने परिवार का पालन पोषण कर अपनी एवं अपने परिवार की आजीविका चलाता है।

2. यह कि, आवेदक द्वारा वर्तमान में श्रीमती अन्नपूर्णा उर्फ अनुसूईया पति श्री भंवरलाल जोशी, निवासी– 179, वृंदावन गार्डन, पिपल्याहाना, इन्दौर के स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे नं. 30/1/2 एवं 32/1 रकबा ग्राम अरंड़िया तहसील एवं जिला–इन्दौर स्थित कृषि भूमि को कृषि कार्य हेतु 11 महीने के लिये कृषि कार्य हेतु अक्षरी रू. अठारह हजार देकर कब्जा प्राप्त किया गया है। इस संबंध में भू–स्वामी एवं आवेंदक के मध्य एक विधिवत् अनुबंध लेख दिनांक 29.05.2017 को निष्पादित हुआ है तथा इस अनुबंध लेख अनुसार आवेदक वर्तमान में उक्त भूमि पर काबिज है। इस संबंध में अनुबंध लेख दिनांक 29.05.2017 जो कि नोटरी महोदय के समक्ष विधिवत् रूप से नोटरी किया हुआ है जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी/1** पर संलग्न है।

3. यह कि, आवेदक द्वारा सदर भूमि पर काबिज होकर वर्तमान में अपनी एवं अपने परिवार की आजीविका को चलाने के लिये सोयाबीन की फसल बो रखी है। इस संबंध में जमीन पर बोई फसल के फोटोग्राफ्स एवं टीना विडियो द्वारा उक्त फोटो को खींचकर प्रदान किये गये बिल क्रं. 478 दिनांक 14.07.2017 भी क्रमशः

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR / निगरानी / इंदौर / भू.रा. / 2017 / 2309

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/7/17	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 विजयनगर क्षेत्र जिला इंदौर द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 22–6–17 एवं 10–7–17 की छायाप्रति का अवलोकन किया गया । उक्त सूचना पत्रों में राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को कब्जा सम्बन्धी कार्यवाही में उपस्थित रहने की सूचना दी गई है, जो कि उचित कार्यवाही है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	